संख्या–1680 / 24–1–10–3502 / 2008

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 3 जून, 2010

विषय:–अनपरा 'ब' ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या–4 तथा 5 (2×500 मेगावाट) की आर एण्ड एम योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–142 / मु0म0प्र0(वित्त) / उ0नि0लि0, दिनांक 18.05.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनपरा 'ब' ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या–4 तथा 5 (2×500 मेगावाट) की आर एण्ड एम योजना हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 85,00,00,000 / –(एक पचासी करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(1) उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में माह जून एवं अक्टूबर, 2010 में वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(3) स्वीकृत धनराशि आहरित कर उस खाते में रखी जायेगी जिसमें निगम का क्रेडिट आफ बैंक आपरेट हो रहा है।

(4) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी / शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा बिल को प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को विशेष सचिव अथवा सचिव अथवा प्रमुख सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गई धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम, जहॉ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

2– इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–ताप विद्युत शक्ति उत्पादन–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–14–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0–07–अनपरा 'ब' ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या–4 एवं 5 (2×500 मेगावाट) की आर एण्ड एम योजना–30– निवेश / ऋण के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–10–यू0ओ0–111 / दस–2010, दिनांक 31 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।

संख्या–1680(1) / 24–1–10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रथम (एल0ए0 सेक्शन–3), इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4
4– राज्य योजना आयोग–1
5– संबंधित सहायक / गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।